

आवेदक द्वारा श्री आर.पी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा श्री आर. सी.यादव अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 05 के विरुद्ध आवेदन तलवाने के अभाव में दिनांक : 04/11/2016 को निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण आज आवेदक के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर आदेश हेतु नियत है।

आवेदन के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा एक वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो व्यवहार वाद क्रमांक 03-ए/14 तलफा बाई विरुद्ध बेताल सिंह के रूप में पंजीबद्ध होकर संचालित हुआ था। जिसमें नियत तिथि पर आवेदिका/वादी का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र पूर्व से प्रस्तुत था, उस पर प्रति-परीक्षण किया जाना था, परन्तु आवेदिका के बीमार होने के कारण वह ग्वालियर ईलाज हेतु चली गई और अपने अभिभाषक को सूचना देने में असमर्थ रही। न्यायालय द्वारा ऐसी दशा में उसकी अनुपस्थिति में वाद निरस्त किया गया। आवेदिका की उक्त अनुपस्थिति मजबूरीवश थी और उसका अनुपस्थिति का दर्शित कारण सद्भाविक है। ऐसी दशा में उक्त दिनांक की उसकी अनुपस्थिति को क्षमाकर उसका आवेदन स्वीकार कर उसके व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाये।

अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत जबाब के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्रति-परीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए वादी को पर्याप्त अवसर दिये गये थे, लेकिन इसके बाद भी वादी या उसके साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुये। तब दिनांक : 21/04/2016 को उसका वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया। वादी द्वारा उसके आवेदन के साथ जो चिकित्सीय पर्चा प्रस्तुत किया गया वह नियत तिथि 21/04/2016 का ना होकर दिनांक : 23/04/2016 का वाद निरस्त

हो जाने के पश्चात् का है, जिससे यह प्रकट होता है कि दिनांक : 21/04/2016 को वाद निरस्ती तिथि को वादी स्वस्थ थी। इस प्रकार उसका आवेदन सद्भाविक ना होकर निरस्त किये जाने योग्य है। फलतः आवेदिका का आवेदन सब्यय निरस्त किया जाये।

आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने।

व्यवहार वाद क्रमांक 40-ए/2014 के समस्त अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद का मूल व्यवहार वाद क्रमांक 03-ए/2014 था और इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त होने पर पुनः पंजीकरण पश्चात् उसका क्रमांक 40-ए/2014 हो गया था। उक्त व्यवहार वाद में वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 01/12/2015, 17/02/16, 08/03/2016, 04/04/2016 एवं 21/04/2016 को पॉच अवसर प्रदान किये गये थे। परन्तु उसके बाद भी वादी तलफाबाई या उसकी ओर से कोई साक्षी या उसका अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। इसलिए दिनांक : 21/04/2016 को वादी का वाद साक्ष्य प्रस्तुति के अभाव एवं वादी की अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय ने हरप्रसाद एवं अन्य विरुद्ध मनीराम एवं अन्य 2016 (01), एम.पी.एल.जे.414 के वाद में यह अभिधारित किया है कि वादी को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित रहने में असफल रहने के कारण आदेश 17 नियम 03 के अधीन न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिये जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध होता है। उसका आदेश 09 नियम 09 के अधीन वाद को पुनः स्थापित करने का आवेदन प्रचलनीय नहीं होता है। यद्यपि आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है कि परन्तु सारवान रूप से वह आदेश 09 नियम 09 के अन्तर्गत वाद पुर्नस्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय दृष्टांत में अभिधारित विधि के आलोक में अप्रचलनीय

है। फलतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में प्रविष्ट कर
अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समय अवधि में
अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

।।।, सी.जे.-।। गोहद